न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

वाद संख्या:– 27 / 2021

नंदलाल पिता अमरचंद जाति भील निवासी उमर का खाला ग्राम पंचायत नंदवाई तहसील बेगूँ — वादी

बनाम

1. प्रेमराज पिता सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
2. लादुलाल पिता सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
3. गोपाल पिता सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
4. शांतिलाल पिता सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
5. कमला पुत्री सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ हाल मुकाम पति रतनलाल भील निवासी झाडोल तह0 बेगूँ
6. सोसर पुत्री सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ हाल मुकाम पति भगवानलाल भील निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बेगूँ
7. नाराणी पुत्री सौराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ हा.मु. पति बंशीलाल भील निवासी देलवाड ग्राम पंचायत गोपालपुरा तह0 बेगूँ
8. मंजु पुत्री सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ हा.मु. पति लखमा भील निवासी देलवाड ग्राम पंचायत गोपालपुरा तह0 बेगूँ
9. कैसर पति सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
10. झमकु पुत्री मांगीलाल जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ हा.मु. पति कन्हैयालाल भील निवासी उमरथुना तह0 बेगूँ
11. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री मोहम्मद रफीक खान
अधिवक्ता वादी
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार भूमिधारी

निर्णय दिनांक:–

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम घटाबाव प0ह0 नंदवाई तह0 बेगूँ में वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 10 तक की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
18	15	0.6400
	86 / 15	0.4900
	95 / 16	0.4300
	कीता–3 कुल रकबा	1.5600 हैक्टर

वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारीक सजरा इस प्रकार है :–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

मांगीलाल भील फोत

सोराम पुत्र फोत | झमकुपुत्री | अमरचंद पुत्र फोत

नंदलाल | सुडीबाईफोत | कालीबाई फोत

गोदपुत्र वादी

1– नंदलाल वादी गोद गया पुत्र
2– प्रेमराज प्रति0सं0 1
3– लादुलाल प्रति0 सं0 2
4– गोपाल प्रति0 सं0 3
5– शांतिलाल प्रति0 सं.4
6– कमला प्रति0सं.5
7– सोसर प्रति0 सं. 6
8– नाराणी प्रति0सं. 7
9– मुजु प्रति0 सं. 8
10– केसर पत्नि प्रति0सं. 9

यह कि प्रतिवादी सं0 1 से 10 तक के पूर्वज मांगीलाल जी के दो पुत्र एवं एक पुत्री कमशः सोराम (वादी के प्राकृतिक पिता) अमरचंद्र (वादी के गोद पिता) व झमकुबाई पुत्री पैदा हुए जिसमें वादी के गोद पिता अमरचंद्र व सौराम जी दोनो सगे भाई होकर अमरचंद्र वादी के काका जी है, अमरचंद्र जी के कोई पुत्र संतान नहीं होने के कारण वादी के गोदपिता अमरचंद्र ने अपने जीते जी जब वादी बाल्यावस्था में था तब जाति समाज के प्रथा व रीति रिवाज अनुसार जाति समाज के मौतबीरान लोगो की मौजुदगी में वादी को गोद लेकर गोद की रस्म सम्पन्न की तथा अमरचंद्र जी ने ही वादी को पाल पोष कर बडा किया और परिवार में जन्मे पुत्र के सभी अधिकार वादी को संपादित किये तथा वादी गोदपुत्र की रस्म के पश्चात निरंतर ही अमरचंद्र जी के साथ निवास करता आ रहा है।

अमरचंद्र जी की सभी सेवा चाकरी वादी के द्वारा की गई तथा वादी ने गोद पिता अमरचंद्र जी का स्वर्गवास दिनांक 19.09.2016 को हुआ तब वादी ने ही सभी सामाजिक धार्मिक कायक्रम सम्पन्न किये तथा पीण्डदान काज करियावर आदि वादी द्वारा की गई और अमरचंद्र जी की पगडी भी वादी के मौतबीरान लोगो की मौजुदगी में बंधी है। वादी ही अमरचंद्र जी की समस्त चल अचल संपत्ति खेती की भूमि पर काबीज होकर स्वतंत्र रूप से बहैसियत पुत्र के उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा वादी नंदलाल अपने भुआ झमकुबाई की काश्त की भूमि पर भौतिक रूप से काबीज होकर खेती कर उपयोग उपीोग करता आ रहा है। वादी के प्राकृतिक पिता सौराम जी की संपति में वादी का गोद चले जाने पर कोई अधिकार नही रहा हैं। वादी नंदलाल ही मृतक अमरचंद्र जी का अकेला पुत्र वारिस हे चूंकी अमरचंद्र जी की पत्नी सूडीबाई व पुत्री कालीबाई दोनो का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा अरमचंद्र जी के नाम से जारी परिवार के राशनकार्ड में व वादी के नाम से जारी आधारकार्ड आदि में भी वादी नंदलाल का नाम अंकित होकर वादी नंदलाल के पिता के स्थान पर अमरचंद्र भील अंकित है, इसलिए मृतक अमरचंद्र भील के निहित हक हिस्सा आराजी का विरासत के आधार पर वादी नंदलाल के नाम से खातेदारी हक की घोषणा फरमाये जाने हेतु यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

यह कि वादी ने मृतक अमरचंद्र जी भील की विरासत का नामान्तरण खुलाये जाने हेतु दिनांक 15.1.2021 को नियमानुसार हलका पटवारी के यहां कार्यवाही प्रस्तुत की लेकिन हलका पटवारी द्वारा न्यायालय आदेश की कहने वादी को यह घोषणा खातेदारी से नाम अंकित कराये जाने हेतु वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वाद कारण दिनांक 15.1.2021 को हलका पटवारी द्वारा विरासत से नामांतरण खुलाये जाने हेतु संबंधित न्यायालय आदेश की कहन से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं।

यह कि वाद वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृपि आराजीयात जो पुश्तैनी होकर न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद की सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। यह कि जरिये विरासत से घोषणा खातेदारी हेतु श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब आवश्यक होने से पक्षकार बनाये गये है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न अनुतोष की डिकी वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

(क) कि मौजा घटाबाव प0ह0 नंदवाई की उक्त वादपत्र की कलम सं0 एक में वर्णित पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में मृतक खातेदार अमरचंद्र भील पिता मांगीलाल भील की विरासत से वादी नंदलाल के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अमल दारामद कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावे। तथा खातेदार सौराम पिता मांगीलाल की विरासत से राजस्व रेकार्ड में अंकित वादी नंदलाल का नाम डिलिट किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान करायी जावे।

(ख) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रदान कराया जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

वाद वादी का न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,6,7,8,9,10बावजूद सूचना के न्यायालय में हाजिर नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय में दिये गये। प्रतिवादी सं. 5 के सम्मन पुनः तलबी हेतु जारी किये जो बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद भी प्रतिवादी सं. 5 उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। पत्रावली में प्रतिवादी तहसीलदार बेगूँ की ओर से जवाबदावा पैरोकार सरकार ने प्रस्तुत कर वादपत्र की कलम सं. 1 में जवाब की आवश्यकता नहीं होना तथा बिन्दु सं. 2 में वादी स्वयं सिद्ध करे का उल्लेख किया है तथा बिन्दु संख्या 4 से 9 तक कानूनी होना अंकित कर निवेदन यह किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारी की भूमि होने एवं वादी द्वारा अमरचंद्र की मृत्यु के संबंध में एवं इसके वारिसान के संबंध में साि ही गोदनामा के संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो वादी स्वयं सिद्ध करावे। इस प्रकार प्रकरण में तहसीलदार बेगूँ का फोर्मल जवाब प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी पत्र पृथक से तेयार कर शामिल पत्रावली किये गये :–

1– आया कि वादी मौजा घटाबाव प0ह0 नंदवाई की उक्त वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में मृतक खातेदार अमरचंद्र भील पिता मांगीलाल भील की विरासत से वादी नंदलाल के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी प्रदान करायी जावे। तथा खातेदार सौराम पिता मांगीलाल की विरासत से राजस्व रेकार्ड में अंकित वादी नंदलाल का नाम डिलिट किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान करायी जावें?

2– यह कि वादी एवं प्रतवादीगण के सहखातेदारी की भूमि होने एवं वादी द्वारा अमरचंद्र की मृत्यु के संबंध में एवं इसके वारीसान के संबंध में साथ ही गोदनामा संबंधित भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। जो वादी के स्वंय सिद्ध कराने है?

3– दादरसी ?

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में तनकी पत्र कायम होने के बाद वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर सीधे ही वादी की ओर से वादी नंदलाल पिता शोराम जी भील व गवाह अम्बालाल पिता नानूराम बलाई के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी ने सकल बयान बाद पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज प्रदर्श कराये जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी की जिरह निल रही है। पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात पत्रावली में प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। पत्रावली में साक्ष्य होने के पश्चात वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के अनुसार अपनी बहस निवेदन करते हुए कहा कि मौजा घटावाव प0स0 नंदवाई की वादवर्णित कृषि आराजीयात में वादी मृतक खातेदार अमरचंद के वैधपुत्र होने से वादी का नाम मृतक खातेदार अमरचंद भील पिता मांगीलाल भील की विरासत से वादी नंदलाल के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने की घोषणा प्रदान कराई जावे।

पत्रावली में बहस सुने जाने के उपरान्त पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी मौजा घटावाव प0स0 नंदवाई सम्वत 2073 से 76 जो कि प्रदर्श– 1 है का अवलोकन किया गया। जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 15, 86/16, 95/16 कीता– 3 कुल रकबा 1.5600 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री नन्दलाल प्रेमराज लादूलाल गोपाल शांतिलाल कमला सोसर नाराणी मंजू पिता शोराम मु. केशर पत्नि स्व. शोराम अमरचंद झमकू पिता मांग्या भील सा. उमर का खाल खातेदार दर्ज अंकित हैं जमाबंदी में लाल स्याही से नोट अंकित किया हुआ है कि नामान्तरण संख्या 173 दिनांक 11.01.2019 न्यायालय आदेश से खाता निम्नानुसार दर्ज श्री नन्दलाल प्रेमराज लादूलाल गोपाल शांतिलाल कमला सोसर नारायणी मंजू पिता शोराम केशर पत्नि स्व. शोराम हि.व. 1/3 अमरचंद्र 1/3, झमकू 1/3 पिता मांग्या भील सा. उमर का खाल खातेदार दर्ज किया गया।
नक्शाट्रेस आराजी का प्रदर्श– 2 हैं। प्रदर्श– 3 मृत्यु प्रमाण पत्र अरमचंद्र का है जिनकी मृत्यु दिनांक 19.092016 को होना अंकित किया गया है। इस प्रकार प्रदर्श– 4 मृत्यु प्रमाण पत्र कालीबाई पत्नि अमरचंद्र का है जिसमें कालीबाई की मृत्यु दिनांक 23.07.2019 को होना अंकित किया है। प्रदर्श–5 आधार कार्ड अमरचंद्र पिता मांगीलाल का है। प्रदर्श–6 आधार कार्ड वादी नन्दलाल पिता अमरचंद्र के नाम का प्रस्तुत किया है। प्रदर्श–7 परिवार का राशनकार्ड अमरचन्द्र भील का है जिसमें उनके परिवार के सदस्यो में नन्दलाल बेटा, गंगाबाई बहु, निर्मला कुमार पोती, भगवती कुमारी पोती, भेरूलाल पोता, इंद्रकुमारी पोती, राजकुमार पोता दर्ज अंकित है। शोक पत्रिका अमरचंद्र की भी नन्दलाल की ओर से छपवाई गई है। प्रदर्श–10 रोजगार कार्ड में भी नन्दलाल के पिता का नाम अमरचंद्र दर्ज है। पत्रावली में सभी दस्तावेज के अवलोकन व बहस अधिवक्ता वादी की सुने जाने एवं उस पर मनन किया जाने के पश्चात पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– <u>तनकी नं01 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमावंदी मौजा घटावाव जो कि प्रदर्श– 1 दर्ज आराजी संख्या 15, 86/15, 95/16 कीता– 3 कुल रकवा 1.5600 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री नन्दलाल प्रेमराज लादूलाल गोपाल शांतिलाल कमला सोसर नाराणी मंजू पिता शोराम मु. केशर पत्नि स्व. शोराम अमरचंद्र झमकू पिता मांग्या भील सा. उमर का खाल खातेदार दर्ज अंकित हैं जमाबंदी में लाल स्याही से नोट अंकित किया हुआ है कि नामान्तरण संख्या 173 दिनांक 11.01.2019 न्यायालय आदेश से खाता निम्नानुसार दर्ज श्री नन्दलाल प्रेमराज लादूलाल गोपाल शांतिलाल कमला सोसर नारायणी मंजू पिता शोराम केसर पत्नि स्व. शोराम हि.व. 1/3 अमरचंद्र 1/3, झमकू 1/3 पिता मांग्या भील सा. उमर का खाल खातेदार दर्ज किया गया है यानि वादी का नाम उनके पिता शोराम की विरासत से संयुक्त रूप से दर्ज किया गया है, लेकिन पत्रावली में जो अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिनमें प्रदर्श– 3 मृत्यु प्रमाण पत्र अरमचंद्र प्रदर्श– 4 मृत्यु प्रमाण पत्र कालीबाई पत्नि अमरचंद्र का प्रदर्श–6 आधार कार्ड वादी नन्दलाल पिता अमरचंद्र के नाम का प्रदर्श–7 परिवार का राशनकार्ड अमरचन्द्र भील का एवं गवाह वादी एवं गवाह अम्बालाल के

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह माना जाता है कि वादी नन्दलाल के प्राकृतिक पिता तो शोराम थे लेकिन गोद पिता द थे जिन्होने वादी नन्दलाल को गोद प्रथा तथा नन्दलाल वादी द्वारा ही अमरचंद्र की मृत्यु र सामाजिक रिति रिवाज अनुसार समस्त काज क्रियावर किये है जिसका प्रमाण भी वादी ने शोक पत्रिका प्रस्तुत कर दिया है। पत्रावली में अन्य किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र का न्यायालय मे उपस्थित आकर खण्डन नहीं किया है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि वादी जो कि मृतक अमरचंद भील का गोदपुत्र था जिन्हें अमरचंद की कृषि आराजी के हक हिस्से में खातेदारी अधिकार से अपना दर्ज करवाने का हक है। इस प्रकार यह तनकी नं0 1 बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नं0 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार पैरोकार तहसीलदार का है, जिन्होने इस दावा पत्रावली में वादी के वादपत्र का फोमल जवाब देते हुए सभी तथ्य वादी द्वारा सिद्ध किये जाने का अंकन किया है, जैसा कि तनकी नं. 1 में वर्णित सभी दस्तावेज से यह वादी द्वारा सिद्ध कर दिया है कि वे मृतक खातेदार अमरचंद्र भील के गोदपुत्र थे वादी को अमरचंद्र के कृषि आराजी में उनकी विरासत से नाम दर्ज करवाने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा इस दावा पत्रावली में अपने जवाब को सिद्ध कराने हेतु ना तो उपस्थित होकर बहस ही पेश की है ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। जिससे तनकी नं0 2 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम तनकी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित होने से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा घटावाव प0ह0 नंदवाई सम्वत 2073 से 76 जो कि प्रदर्श– 1 है का अवलोकन किया गयां। जमावंदी में दर्ज आराजी संख्या 15, 86 / 15, 95 / 16 कीता– 3 कुल रकबा 1.5600 हैक्टर भूमि में वादी नन्दलाल गोदपुत्र अमरचंद्र भील का नाम मृतक खातेदार अमरचंद्र पिता मांगीलाल भील हिस्सा 1 / 3 के वजाय विरासत से राजस्व रेकार्ड में अंकत किये जाने की घोषणा की जाती है तथा वादी नन्दलाल का नाम उनके पिता सोराम की विरासत से दर्ज जो किया गया है उसे हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। शेप अंकन जमाबंदी अनुसार दर्ज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ
जिला –चितौडगढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चितौड़गढ़)

मूल वाद में अंमित डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्याः– 27 / 2021

नंदलाल पिता अमरचंद्र जाति भील निवासी उमर का खाला ग्राम पंचायत नंदवाई तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. प्रेमराज पिता सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
2. लादुलाल पिता सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
3. गोपाल पिता सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
4. शांतिलाल पिता सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
5. कमला पुत्री सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ हाल.मुकाम पति रतनलाल भील निवासी झाडोल तह0 बेगूँ
6. सोसर पुत्री सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ हाल मुकाम पति भगवानलाल भील निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बेगूँ
7. नाराणी पुत्री सौराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ हा.मु. पति बंशीलाल भील निवासी देलवाड ग्राम पंचायत गोपालपुरा तह0 बेगूँ
8. मंजु पुत्री सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ हा.मु. पति लखमा भील निवासी देलवाड ग्राम पंचायत गोपालपुरा तह0 बेगूँ
9. कैसर पति सोराम जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
10. झमकु पुत्री मांगीलाल जाति भील निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ हा.मु. पति कन्हैयालाल भील निवासी उमरथुना तह0 बेगूँ
11. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक खान की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 23.12.2024. को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा घटाबाव प0ह0 नंदवाई सम्वत 2073 से 76 जो कि प्रदर्श– 1 है का अवलोकन किया गयां। जमावंदी में दर्ज आराजी संख्या 15, 86 / 15, 95 / 16 कीता– 3 कुल रकबा 1.5600 हैक्टर भूमि में वादी नन्दलाल गोदपुत्र अमरचंद्र भील का नाम मृतक खातेदार अमरचंद्र पिता मांगीलाल भील हिस्सा 1 / 3 के बजाय विरासत से राजस्व रेकार्ड में अंकत किये जाने की घोषणा की जाती है तथा वादी नन्दलाल का नाम उनके पिता सोराम की विरासत से दर्ज जो किया गया है उसे हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन जमावंदी अनुसार दर्ज रहेगा।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)
दिनांक :–

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 /

वाद संख्या 27 / 2021 व अनवान नन्दलाल बनाम प्रेमराज वगै. वाद अ.धा. 88 राज0काश्त अधि0 में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती हैं।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ